न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– श्री विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
144/2014 (RCMS 2014/00716)	20.08.2014	29.08.2019

अनवान

गोपाललाल पिता विजयशंकर जाति मौड ब्राहम्ण आयु 47 साल निवासी सेगवा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

वादी

बनाम

1. शिवलाल पिता देवीलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क।
2. श्रीमती शांतिबाई पत्नि भैरूलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी सेगवा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
3. श्री सरकार जरियेतहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ ।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–	अधिवक्ता श्री छोगालाल जाट	वादीगण
	अधिवक्ता श्री राकेश जैन	प्रतिवादी संख्या 2
	पैरोकार सरकार	प्रतिवादी संख्या 3

–:: वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955 बाबत् घोषणात्मक डिक्री एवं बंटवाडा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व दो के पिता व ससुर देवीलाल पिता नोतलाल जी ब्राहम्ण की मौजा ग्राम सेगवा की जमाबंदी संख्या 60 संवत् 2031–34 में आराजी संख्या 247 रकबा 8 बिस्वा आराजी संख्या 249 रकबा 11 बिस्वा आराजी संख्या 245/244 रकबा 18 बिस्वा आराजी संख्या 256 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा आराजी संख्या 257 रकबा 5 बिस्वा 257 रकबा 5 बिस्वा आराजी संख्या 263 रकबा 15 बिस्वा आराजी संख्या 268 रकबा 9 बिस्वा आराजी संख्या 271 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजीयात के नवीन सेंटलमेंट के दरम्यान आराजी संख्या 405 रकबा 0.09 हैक्टर आराजी संख्या 450 रकबा 0.14 हैक्टर आराजी संख्या 477 रकबा 0.18 हैक्टर आराजी संख्या 491 रकबा 0.05 हैक्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आराजी संख्या 755/494 रकबा 0.12 हैक्टर आराजी संख्या 756/485 रकबा 0.16 हैक्टर कुल किता 6 रकबा 0.74 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज की गई। व आराजी संख्या 457 रकबा 0.05 हैक्टर आराजी संख्या 485 रकबा 0.17 हैक्टर आराजी संख्या 494 रकबा 0.14 हैक्टर आराजी संख्या 754/471 रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.42 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज करते हुए नवीन भू–प्रबंध अधिकारियों ने सेटलमेंट के दरम्यान दर्ज कियें। सेटलमेंट के पूर्व प्रतिवादी संख्या 2 के भाई भैरूलाल की मृत्यु प्रतिवादी संख्या 1 के पिता की मृत्यु के पश्चात् हो जाने से भैरूलाल की पत्नि शांतिबाई प्रतिवादी सके नाम दर्ज की गई। भू–प्रबंध अधिकारियों ने भू–प्रबंध के दरम्यान बिना किसी अधिकार के प्रतिवादी संख्या 1 की रजामंदी लिखते हुये आपसी बंटवाडा कर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में मात्र 0.42 हैक्टर भूमि दर्ज की गई एवं प्रतिवादी संख्या 2 शांतिबाई के नाम पर 0.74 हैक्टर भूमि दर्ज की गई। जबकि मौखिक बंटवाडे के अनुसार प्रतिवादी संख्या आराजी संख्या 457, 485, 494, 474/491 व आराजी संख्या 450 रकबा 0.14 हैक्टर कुल रकबा 0.56 हैक्टर भूमि पर काबिज होकर अपने पिता देवीलाल के जीवन काल से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। व प्रतिवादी संख्या 2 आराजी संख्या 405, 477, 491, 755/494, 776रु485 कुल किता 5 कुल रकबा 0.60 हैक्टर भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है जिस कारण आराजी संख्या 450 रकबा 0.14 हैक्टर जो प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर दर्ज होकर प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जेकाश्त में होने से वादी ने रजिस्टर्ड बहनाम तादादी रूपयें 800/– रूपये में दिनांक 30.06.1980 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तभी से स्वामित्व की हैसियत से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है जिससे वादी आराजी संख्या 450 रकबा 0.14 हैक्टर की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी होने से वाद पत्र बाबत् घोषणात्मक डिक्री व बंटवाडा आराजीयात पेश है। विवादित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1, 2 की पैतृक आराजी है। जिससे आपसी बंटवाडे अनुसार वादी आराजी संख्या 450 पर खरीद दिनांक 30.06.1980 से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। परन्तु आराजी संख्या 450 भू–प्रबंध अधिकारियों में बिना किसी अधिकार के प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज कर देने से प्रतिवादी संख्या 2 विवादित आराजीयात से वादी को बेदखल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कर विवादित आराजीयात का हस्तान्तरण करने पर आमादा है। जिससे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना आवश्यक हो जाने से वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा पेश है। बिनाय मुखास्मात वाद कारण दिनांक 02.06.2007 को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादी को विवादित आराजीयात से बेदखल कर हस्तान्तरण करने का असफल प्रयास किया। जिससे वाद कारण पैदा होकर वादपत्र अंदर मियाद पेश है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादपत्र वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज आराजी संख्या 450 रकबा 0.14 हैक्अर भूमि वादी के पक्ष में घोषणात्मक डिक्री पारित फरमाई जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि वह वादी को विवादित आराजीयात से बेदखल नहीं करे न ही किसी अन्य से करावें। व विवादित आराजीया का कब्जे अनुसार घोषणा कराई जाकर अलग दर्ज फरमाई जावें। हर्जा–खर्चा मुकदमा वकील मेहनताना वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

इस पर वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। इस पर दिनांक 08.08.2007 को प्रतिवादीगण की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आयें एवं प्रतिवादी संख्या 3 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। दिनांक 06.08.2008 को अधिवक्ता प्रतिवादीगण के हाजिर नहीं आने से कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। दिनांक 03.03.2009 की साक्ष्यवादी में वादी गोपाललाल पिता विजयशंकर मौड का शपथ–पत्र पेश हुआ जो कि PW-1 है एवं दस्तावेज प्रद्शित कराये जो कि नकल जमाबंदी मौजा सेगवा संवत् 2062–65 के खाता संख्या 169 की जो कि प्रदर्श–1 है, विक्रय पत्र तादादी रूपये 800/– आराजीयात दिनांक 30.06.1980 जो कि प्रदर्श–2(अ) है, नकल जमाबंदी मौजा सेगवा संवत् 2062–65 के खाता संख्या 172 की जो कि प्रदर्श–3 है, नकल जमाबंदी मौजा सेगवा संवत् 2041 के खाता संख्या 133, 134 की जो कि प्रदर्श–4 है, नकल खसरा परिशोधन पत्र मौजा सेगवा संवत् 2035 जो कि प्रदर्श–5 है, नकल मिलान खसरा मौजा सेगवा संवत् 2035 जो कि प्रदर्श–6 है, नकल जमाबंदी मौजा सेगवा संवत् 2031–2034 के खाता संख्या 60 की जो कि प्रदर्श–7 है एवं स्वतंत्र गवाह भैरूलाल पिता धुलजी जाति ब्राहम्ण निवासी सेगवा का शपथ–पत्र हुआ जो कि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

PW-2 है। दिनांक 01.06.09 को वादी की और से कोई शहादत नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्यवादी बंद की गई एवं दिनांक 29.06.2009 को वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री पारित की गई। इस पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चित्तौड़गढ़ के यहॉ निर्णय दिनांक 29.06.2009 से असंतुष्ट होकर अपील प्रस्तुत की गई। इस पर माननीय न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 147/2009 डिक्री में निर्णय दिनांक 15.12.2010 द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 29.06.2009 को अपास्त किया जाकर अपीलांट (प्रतिवादी संख्या 2) को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर उभयपक्ष की सुनवाई के पश्चात् विधिवत निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। इस पर दिनांक 14.03.2011 को प्रकरण को प्रकरण संख्या 076/2011 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सूचना पत्र उभयपक्ष को तलब किया गया। इस पर दिनांक 07.02.2012 को प्रतिवादी संख्या 2 की और से जवाबदावा पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली है। दिनांक 13.03.2012 को प्रतिवादी संख्या 1 का जवाबदावा पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं होने से जवाब बंद किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 की और से प्रस्तुत वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर दिनांक 10.04.2012 को निम्नानुसार तनकियात कायम की गई।

1. आया ग्राम सेगवा की आराजी संख्या 450 रकबा 0.14 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1, 2 की पैतृक आराजी होकर आपसी सहमति के विभाजन से प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आयी तथा वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से उसके खाते एवं कब्जे काश्त की होने से रजिस्टर्ड बहनामा दिनांक 30.06.1980 से खरीद कर कब्जा प्राप्त करने से वादी उक्त आराजी अपने खातेदारी की घोषित करा रेकार्ड में अंकन कराने का अधिकारी है।

   --- जिम्मे वादी।

2. आया वादी प्रतिवादी संख्या 1, 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

   --- जिम्मे वादी।

3. अनुतोष

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 10.09.2012 को अधिवक्ता वादी के हाजिर नहीं आने से वाद वादी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया गया। इस पर वादी की और से माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चित्तौड़गढ़ में अपील प्रस्तुत की गई। इस पर माननीय न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 120/2012/टी.ए. निर्णय दिनांक 06.12.2013 द्वारा न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 10.09.2012 को अपास्त किया जाकर कॉस्ट अदा करने व सुनवाई उपरांत वाद में अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण प्रतिपेषित किया गया। इस पर दिनांक 20.08.2014 को प्रकरण को प्रकरण संख्या 144/2014 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सूचना पत्र पक्षकारान को सूचित किया गया। इस पर दिनांक 29.11.2017 को साक्ष्यवादी बंद की गई। दिनांक 08.01.2018 को प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के निवेदन से साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा दिनांक 20.08.2019 को बहस पत्रावली सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया की न्यायालय द्वारा वादी का वाद प्रमाणित मानने से दिनांक 29.06.2009 को स्वीकार किया गया जिसमें वादी की और से सम्पूर्ण साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो कि रिकार्ड पर है, अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस समाप्त की। इस पर विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि न्यायालय द्वारा वादी का वाद दिनांक 29.06.2009 को स्वीकार किया गया जिसे सक्षम अपीलीय न्यायालय अपास्त किया जा चुका है ऐसी स्थिति में वादी को अपना वाद पुनः प्रमाणित कराया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जबकि वादी द्वारा वादपत्र में किसी भी प्रकार से शहादत प्रस्तुत नहीं की गई है ऐसी स्थिति में वादी का वाद खारीज किये जाने योग्य है एवं वादी का वाद खारीज किये जाने की ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस समाप्त की। इस पर बहस के प्रत्युतर में विद्वान अधिवक्ता वादी ने जवाब देते हुए बताया कि न्यायालय आप द्वारा वादी का वाद दिनांक 29.06.2009 को प्रमाणित मानते हुए स्वीकार किया एवं जिसे प्रतिवादी द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर प्रकरण में प्रतिवादी को जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को भी शहादत प्रस्तुत की जाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवश्यक थी किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा भी किसी प्रकार की शहादत पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई है जबकि वादी की शहादत पत्रावली पर पूर्व में रिकार्ड है ऐसी स्थिति नवीन साक्ष्य वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये क्योंकि वादी द्वारा पूर्व में समुचित साक्ष्य प्रस्तुत कर दिये गये जो कि रिकार्ड पर है, अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात के आधार पर पत्रावली का निर्णय गुणावगुण निम्नानुसार तनकीवार किया जाता है।

तनकी संख्या 1 :– आया ग्राम सेगवा की आराजी संख्या 450 रकबा 0.14 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1, 2 की पैतृक आराजी होकर आपसी सहमति के विभाजन से प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आयी तथा वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से उसके खाते एवं कब्जे काश्त की होने से रजिस्टर्ड बहनामा दिनांक 30.06.1980 से खरीद कर कब्जा प्राप्त करने से वादी उक्त आराजी अपने खातेदारी की घोषित करा रेकार्ड में अंकन कराने का अधिकारी है।

इस तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर होकर यह तनकी वादीगण को सिद्ध कराई जानी है। नकल जमाबंदी मौजा सेगवा संवत् 2062–65 के खाता संख्या 169 की जो कि प्रदर्श–1 है जिसमें वादग्रस्त आराजी संख्या 450 रकबा 0.14 हैक्टर जो कि वादी के खाते में मौखिक बंटवाडे अनुसार होनी चाहिये थी जिसे वादी का कब्जा काश्त होने से अपने खातेदार में दर्ज कराना चाहता हैं। विवादित आराजीयात आराजी संख्या 450 रकबा 0.14 हैक्टर है जिसके साबिक आराजी संख्या 249 रकबा 11 बिस्वा दर्ज रिकार्ड रही है जिसकी ताईद प्रदर्श–6 से होती है। साबिक आराजी संख्या 249 रकबा 11 बिस्वा भूमि देवीलाल पिता नोतराम ब्राहम्ण के नाम पर दर्ज रिकार्ड रही है जिसकी ताईद प्रदर्श–7 से होती है। प्रदर्श–7 पर अंकित नोट के अनुसार इंतकाल संख्या 184 से विरासत से देवीलाल के बजाय भैरूलाल शिवलाल पिता देवीलाल दर्ज हुई। तथा नामान्तरकरण संख्या 205 दिनांक 22.02.1979 से भैरूलाल के बजाय शांतादेवी बेवा भैरूलाल के नाम पर दर्ज हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 ने साबिक आराजी संख्या 249 रकबा 11 बिस्वा जो उसके हिस्से में आई उसे बिल एवज 800/– रूपये में वादी गोपाललाल पिता विजयशंकर मौड को विक्रय की। उक्त रजिस्ट्री को सब रजिस्ट्रार चित्तौड़गढ़ में इम्पाउण्ड की जिस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पर दिनांक 24.12.1983 को मुंद्राक जमा कराने का प्रमाण–पत्र होकर पृष्ठांकन है। इस प्रकार तीन वर्ष मूल रजिस्ट्री के इम्पाउण्ड होने से भू–प्रबंध के दौरान वादी अपनी खातेदारी में दर्ज नहीं करा पाया। उसके बाद भू–प्रबंध रेकार्ड वर्ष 1985, 1986 में तहसील में सिपुर्द हुआ जिससे साबिक आराजी संख्या 249 रकबा 11 बिस्वा के हाल आराजी संख्या 450 रकबा 0.14 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 2 के नामदर्ज अभिलिखित हुआ। प्रदर्श–5 खसरा परिशोधन पत्र जो विभाजन से संबंधित होकर संवत् 2035 का ग्राम सेगवा का है उक्त खसरा परिशोधन के आधार पर जो प्रदर्श–4 सेंटलमेंट जमाबंदी आधारा वर्ष संवत् 2041 में आराजीयात कुल किता 6 रकबा 0.74 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर खाता संख्या 133 व प्रतिवादी संख्या 1 के खाता संख्या 134 में आराजीयात कुल किता 4 कुल रकबा 0.42 हैक्टर ही दर्ज होकर 0.16 है हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1 के कम दर्ज रिकार्ड हुई जो कि पूर्व में दर्ज अभिलिखित हक हिस्से से कर्म दर्ज हुई। रजिर्स्ड विक्रय विलेख के अनुसार साबिक आराजी संख्या 249 को शिवलाल ने अपने हिस्से की बताते हुए वादी को दिनांक 30.06.1980 से विक्रय कर कब्जा सौंप दिया जिससे वादी का रजिस्ट्री दिनांक 30. 06.1980 से निरन्तर एवं निर्बाध प्रतिवादी की जानकारी में बेरोकटोक कब्जा विगत लम्बे समय से चला आ रहा है। जहॉ तक कब्जे का प्रश्न है साक्ष्यवादी में वादीगण की और से प्रस्तुत शपथ–पत्र जिनका खण्डन प्रतिवादी द्वारा नहीं किया गया जो कि रिकार्ड से जाहिर होता है कि प्रतिवादी द्वारा शपथ–पत्रों पर जिरह नहीं की गई है जिरह के अभाव में शपथ–पत्र अखण्डित है। इसके साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया जाकर वादी के वादपत्र का किसी प्रकार खण्डन नहीं किया गया है जो अन्तर्गत आदेश 8 नियम 05 (2) के तहत इकबालिया जवाबदावा की तारीफ में आता है। प्रदर्श–5 खसरा परिशोधन पत्र संवत् 2035 से उक्त विवादित साबिक आराजी संख्या 249 रकबा 11 बिस्वा जिसके हाल नम्बर आराजी संख्या 450 शांतीबाई बेवा भैरूलाल के नाम पर सहमति बंटवाडे से दर्ज रिकार्ड कर दी गई जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 का खाते में 1/2 1/2 हक हिस्सा दर्ज रिकार्ड था जिसे सहमति बंटवाडे में प्रतिवादी संख्या 1 के 0.16 हैक्टर कम रिकार्ड की दी गई जबकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 30.06.1980 संपादित करा दिया गया ऐसी स्थिति में उक्त आराजीयात विक्रय पत्र के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अनुसार वादी के खातेदारी में दर्ज किया जाना था किन्तु उसे प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज रिकार्ड कर दिया गया है ऐसी स्थिति में यह इन्द्राज कानूनन गलत होना प्रतीत होता है। जबकि वादग्रस्त आराजीयात वादी गोपाललाल की रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.06.1980 से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा क्रय की गई है ऐसी स्थिति में वादी के नाम पर दर्ज अभिलिखित किया जाना चाहिये था अतः यह तनकी संख्या 1 वादी द्वारा साबित करायें जाने से यह तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :– आया वादी प्रतिवादी संख्या 1, 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर होकर यह तनकी वादी को सिद्ध कराई जानी है। तनकी संख्या 1 घोषणा की तनकी होकर वादी के जिम्में होकर वादी द्वारा बखूबी साबित कराई गई जिसका विश्लेषण पूर्व में किया जा चुका है चूंकि घोषणा की तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की गई है ऐसी स्थिति में वादी के पक्ष अपने पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराये जाने का अधिकारिणी है इसके साथ पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य गवाहान PW-1 एवं PW-2 द्वारा जो कि अखण्डित शपथ–पत्र है में वादी का वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा होना अपने बयानात में बताया है। जिससे यह तनकी तनकी संख्या 2 वादी के पक्ष में खिलाफ प्रतिवादीगण के निर्णित की जाती है।

दादरसी :–

चूंकि वादी के द्वारा तनकी संख्या 1 एवं तनकी संख्या 2 वादी के जिम्मे होकर वादी द्वारा बखूबी साबित कराये जाने से वादी पक्ष में निर्णित की गई है। इस प्रकार वादी विवादित आराजीयात आराजी संख्या 450 रकबा 0.14 हैक्टर की खातेदारी घोषित कराये जाने का अधिकारिणी है। इसके साथ ही वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी कराये जाने का अधिकारिणी है इसके साथ ही विवादित आराजीयात आराजी संख्या 450 रकबा 0.14 हैक्टर का सम्पूर्ण हिस्से की घोषणा वादी अपने पक्ष में कराये जाने से वादी आराजी संख्या 450 रकबा 0.14 हैक्टर का तन्हॉ खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार वादी के द्वारा खातेदारी घोषणा एवं बंटवाडा आराजयीात एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दस्तावेजात एवं साक्ष्य आदि से सिद्ध कराया जाने से वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विश्लेषण एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात गवाहान के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा सेगवा पटवार हल्का सेमलिया तहसील चित्तौड़गढ़ की वादग्रस्त आराजीयात आराजी संख्या 450 रकबा 0.14 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.14 हैक्टर का गोपाललाल पिता विजयशंकर मौड को तन्हॉ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तद्नुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम दर्ज अंकित की जावें एवं प्रतिवादी संख्या 2 शान्तिबाई बेवा भैरूलाल का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावें। इसके साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय से दी जाती है कि मौजा सेगवा पटवार हल्का सेमलिया तहसील चित्तौड़गढ़ की वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें एवं न ही किसी अन्य के परिवारजन नौकर आदि से ही करावें। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावें।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **29.08.2019** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अनवान

गोपाललाल पिता विजयशंकर जाति मौड ब्राहम्ण आयु 47 साल निवासी सेगवा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

वादी

बनाम

1. शिवलाल पिता देवीलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क।
2. श्रीमती शांतिबाई पत्नि भैरूलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी सेगवा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
3. श्री सरकार जरियेतहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ ।

प्रतिवादीगण

–:: वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955 बाबत् घोषणात्मक डिक्री एवं बंटवाडा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा ::–

प्रकरण संख्या :– 144/2014
(RCMS 2014/00716)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलात कतई रूबरू श्री छोगालाल जाट अधिवक्ता वादी श्री राकेश जैन अधिवक्ता प्रतिवादी मिनजतिब मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा सेगवा पटवार हल्का सेमलिया तहसील चित्तौड़गढ़ की वादग्रस्त आराजीयात आराजी संख्या 450 रकबा 0.14 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.14 हैक्टर का गोपाललाल पिता विजयशंकर मौड को तन्हॉ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तद्नुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम पर दर्ज अंकित की जावें एवं प्रतिवादी संख्या 2 शान्तिबाई बेवा भैरूलाल का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावें। इसके साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय से दी जाती है कि मौजा सेगवा पटवार हल्का सेमलिया तहसील चित्तौड़गढ़ की वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें एवं न ही किसी अन्य के परिवारजन नौकर आदि से ही करावें। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **29.08.2019** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयत	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबतईजराय हुक्मनामा			बाबतईजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official